भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:
NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता: / Address of Branch Office:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता:
Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता:
Address of Insurance Ombudsman:

नोट: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

एलआईसी का जीवन शिखर (लाभ सहित)
LIC's JEEVAN SHIKHAR (with profit)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

LIC's JEEVAN SHIKHAR
Plan No. 837 | UIN - 512N305V01

भाग – अ / PART – A

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में "निगम" कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और कुल प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अत: निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/वाले उक्त व्यक्ति उसका/उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की उम्र सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एतद्द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी इसके पीछे की तरफ मुद्रित परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with the Declaration and Total Premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced, to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this policy, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed to be part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: **तालिका / SCHEDULE** **शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:**

पॉलिसी सं.: Policy No.:	मृत्यु पर बीमा राशि (₹): Sum Assured on Death (₹):	कर (₹): Taxes (₹):
पॉलिसी की आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Policy:	परिपक्वता बीमा राशि (₹): Maturity Sum Assured (₹)	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:
जोखिम के आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of Risk:	Tabular Single Premium (₹): तालिका एकल प्रीमियम (₹):	
प्लान तथा पॉलिसी की अवधि: Plan & Policy Term:	i. Single Premium (₹): i. एकल प्रीमियम (₹):	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:
परिपक्वता की तिथि: Date of Maturity:	ii. Extra charge (₹): ii. अतिरिक्त प्रभार (₹):	
निहित होने की तिथि: Date of Vesting:	अदा किया गया कुल प्रीमियम (₹): Total Premium paid (₹):	क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम:
Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:

यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम:
If nominee is a minor, name of the Appointee:

प्रस्ताव सं.: Proposal No.:	पॉलिसी जारी करने की तिथि: Date of Issuance of Policy:
प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal:	हितलाभ चित्रण संदर्भ सं.: Benefit Illustration Reference No.:

प्रस्तावक का नाम और पता: / Name and address of Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता: / Name and address of Life Assured:

लाभार्थी, हितलाभ जिसे देय हैं Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसके समानुदेशिती को या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामितों या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। The proposer or the Life Assured or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए ।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म नं. / Form No.:

कृते वरिष्ठ/मुख्य/शाखा प्रबंधक
p. Chief/ Sr./ Branch Manager

एजेन्सी कोड Agency Code	एजेन्सी का नाम Agency Name	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number

भाग–ब: परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

1. **उम्र** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित के नज़दीकी जन्मदिन से है सिवाय 6 वर्ष की उम्र के लिए, जहां उम्र पूर्ण वर्षों में है।
2. **नियुक्त–व्यक्ति (एपॉइन्टी**) वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्गत दावे के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर वह सुरक्षित राशि/हितलाभ देय होती है।
3. **समानुदेशिती** वह व्यक्ति है जिसे समानुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं।
4. **समानुदेशन** बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत "समानुदेशिती" के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया है।
5. **लाभार्थी** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को प्राप्त करने का पात्र है। लाभार्थी, प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समानुदेशिती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
6. **निगम** का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
7. **पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है।
8. **जोखिम के आरंभ होने की तिथि** इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 1 में उल्लिखित तिथि है।
9. **पॉलिसी जारी करने की तिथि** वह तिथि है जब किसी प्रस्ताव को बीमा लेखन के बाद पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है।
10. **परिपक्वता की तिथि** का अर्थ वह निश्चित तिथि है जब हितलाभ पूर्णत: या आकस्मिक रूप से देय होता है।
11. **निहित होने की तिथि** वह तिथि जब पॉलिसी के हितलाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति हकदार होता है जैसा कि इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में उल्लिखित किया गया है।
12. **मृत्यु पर मिलने वाली रकम** का अर्थ करार के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है, जो कि इस पॉलिसी दस्तावेज के "भाग स" की शर्त 1 में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में देय है।
13. **डिस्चार्ज फॉर्म** पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता/ अभ्यर्पण/मृत्यु पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है।
14. **पृष्ठांकन** से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों या आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
15. **अतिरिक्त प्रभार** बीमालेखन संबंधी निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत ली जाने वाली अतिरिक्त राशि है, यदि कोई हो तो।
16. **फ्री लुक अवधि** पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि, इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है।
17. **गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य** पॉलिसी के सरेन्डर किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए जाने वाले अभ्यर्पण मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि है।
18. **आईआरडीएआई** का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले इसे इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी (आईआरडीए) कहा जाता था।
19. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण लिया गया है।
20. **ऋण** निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय अभ्यर्पण मूल्य पर प्रदान की गयी ब्याजयुक्त लौटायी जाने वाली राशि है।
21. **परिपक्वता हितलाभ** का अर्थ वह हितलाभ है जो कि परिपक्वता अर्थात इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 2 पर उल्लिखित पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय है, अगर बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहता है।
22. **परिपक्वता बीमा राशि** यह परिपक्वता पर देय कुल राशि है, जिसका उल्लेख इस पॉलिसी कागजात के भाग स की शर्त 2 में किया गया है।
23. **महत्त्वपूर्ण जानकारी** वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित व्यक्ति को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बीमालेखन पर प्रभाव होता है।
24. **अवयस्क या नाबालिग** वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the policy document are as under:

1. **Age** is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of the commencement of the policy except for age 6 years for which the age is in completed years.
2. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. **Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
4. **Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
5. **Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be Proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
6. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
7. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
8. **Date of commencement of risk** is the date as specified in Condition 1 of Part C of this Policy Document.
9. **Date of Issuance of Policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
10. **Date of Maturity** means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently.
11. **Date of vesting** is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document.
12. **Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Life Assured as specified in Condition 1 of Part C of this Policy document.
13. **Discharge form** is the form to be filled by policyholder/ claimant to claim the maturity/surrender /death benefit under the policy.
14. **Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
15. **Extra charge is** the extra amount if charged under the policy due to underwriting decision.
16. **Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document by the policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
17. **Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
18. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
19. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted.
20. **Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder.
21. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term as specified in Condition 2 of Part C of this Policy Document, on life assured surviving the stipulated Date of Maturity.
22. **Maturity Sum Assured** is the absolute amount payable on maturity as mentioned in Condition 2 of Part C of this Policy Document.
23. **Material information** is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal/policy submitted.

राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद की तिथी हो, धोखाधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या अभ्यर्पितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण I: इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, "धोखेधड़ी" का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

अ. सुझाव, जिसका तथ्य सही नहीं है तथा जिसकी सत्यता पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;

ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

स. धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा

द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल–चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आंकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ़ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हों, कि बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य हो कि बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के तुल्य हो।

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा।

4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुर्नचलन की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या अभ्यर्पितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है।

आगे शर्त यह है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या अभ्यर्पितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ़ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I.-For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

c) any other act fitted to deceive; and

d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

3. Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

4. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation. - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

5. Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

25. **नामांकन** किसी व्यक्ति को "नामित" करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। नामांकन, समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।

26. **नामित** वह व्यक्ति है जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से उन्मोचन (डिस्चार्ज) का अधिकार रखता है।

27. **प्रतिभागी** का अर्थ है निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी में होने वाले लाभ भागीदारी की पात्रता है।

28. **पॉलिसी वर्षगांठ** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष तथा उसके बाद परिपक्वता तक एक वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक तिथि से है।

29. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज** का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधारक तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है।

30. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।

31. **पॉलिसी अवधि** वर्षों में पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से वह अवधि है, जिसमें पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार संविदागत हितलाभ देय होते हैं।

32. **पॉलिसी वर्ष** दो लगातार पॉलिसी वर्षगांठों के बीच की अवधि है। इस अवधि में वर्षगांठ का पहला दिन शामिल है तथा अगली पॉलिसी वर्षगांठ का दिन शामिल नहीं है।

33. **प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है।

34. **अनुसूची** पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजूद है।

35. **एकल प्रीमियम** बीमाधारक द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए अदा की जाने वाली पॉलिसी की अनुसूची में उल्लिखित रकम हैं। एकल प्रीमियम में रिबेट शामिल है, तथा अतिरिक्त प्रभार अगर कोई हो शामिल नहीं हैं। इस पॉलिसी में कहीं भी प्रयुक्त एकल प्रीमियम 'एकल प्रीमियम' में कोई कर शामिल नहीं है।

36. **मृत्यु पर बीमा राशि** जोखिम के आरंभ होने के बाद इस पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु पर देय सुनिश्चित राशि।

37. **अभ्यर्पण** का अर्थ पूरी पॉलिसी को परिपक्वता से पहले वापस लेना/समाप्त करना है।

38. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ, वह राशि है, जो इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार उसे अभ्यर्पण करने की स्थिति में देय होती है।

39. **तालिका एकल प्रीमियम** यह बीमित व्यक्ति की उम्र के आधार पर चुनी गई परिपक्वता बीमा राशि के लिए प्रीमियम है, जिस पर कोई रिबेट या अतिरिक्त लोडिंग नहीं लगायी गई है। यह मृत्यु पर बीमा राशि के निर्धारण का आधार होता है।

40. **कुल अदा किया गया प्रीमियम** यह पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली करार के अंतर्गत की राशि है। इस राशि में रिबेट तथा अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

    इस पॉलिसी दस्तावेज में कहीं भी प्रयुक्त 'कुल अदा किए गए प्रीमियम' में कोई कर शामिल नहीं है।

41. **बीमालेखन** शब्द का इस्तेमाल जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक लागत है। बीमालेखन के आधार पर संरक्षण की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तों को लागू किए जाने, अगर कोई हो, के संबंध में फैसला लिया जाता है।

42. **UIN** का अर्थ इस प्लान को आईआरडीए द्वारा आवंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर है।

43. **लाभ सहित पॉलिसियां** का तात्पर्य ऐसी पॉलिसियों से है, जो पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान निगम को प्राप्त होने वाला अधिशेष (लाभ) में भागीदारी की पात्र होती हैं।

भाग – स: हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

1. मृत्यु पर मिलने वाली राशि:

प्रथम पांच पॉलिसी वर्षों के दौरान मृत्यु होने पर:

जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पूर्व: एकल प्रीमियम को ब्याज के बिना लौटा दिया जाएगा।

जोखिम के आरंभ होने की तिथि के बाद: मृत्यु पर बीमा राशि अर्थात तालिका एकल प्रीमियम के 10 गुना भुगतान किया जाएगा।

24. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.

25. **Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

26. **Nominee** is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Life Assured.

27. **Participating** means the Policy is eligible for share of profit depending upon the Corporation's experience.

28. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling one year thereafter, till the date of maturity.

29. **Policy/Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.

30. **Policyholder** is the legal owner of this policy.

31. **Policy term** is the period, in years, from the Date of commencement of policy during which the contractual benefits are payable as per the terms and conditions of the policy.

32. **Policy year** is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.

33. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.

34. **Schedule** is the part of policy document that gives the details of your policy.

35. **Single Premium** is the amount paid by the Policyholder as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. The Single Premium is inclusive of rebate, if any and excludes any extra charges.

    The term 'Single Premium' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes.

36. **Sum Assured on Death** is the assured amount payable on death during the policy term after the date of commencement of risk.

37. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire policy before maturity.

38. **Surrender Value** means an amount that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.

39. **Tabular Single Premium** is the premium for the chosen Maturity Sum Assured based on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading, which form basis for determination of Sum Assured on death.

40. **Total Premium paid** is the contractual amount paid by the Policyholder as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. This amount includes rebate and extra charges, if any.

    The term 'Total Premium paid' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes.

41. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.

42. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

43. **With Profits policies** means policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

PART – C: BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:

1. **Death Benefit:**

   On death during first five policy years:

   Before the date of commencement of risk: Refund of Single Premium without interest.

   After the date of commencement of risk: Sum assured on Death i.e. 10 times the Tabular Single Premium shall be payable.

पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद लेकिन परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले मृत्यु होने पर:

मृत्यु पर बीमा राशि अर्थात तालिका एकल प्रीमियम का 10 गुना तथा लॉयल्टी एडीशन, अगर कोई हो, के साथ भुगतान किया जाएगा।

प्लान के अंतर्गत जोखिम के आरंभ होने की तिथि:

अगर बीमित व्यक्ति के प्रवेश की उम्र 8 वर्ष से कम हो, तो इस प्लान के अंतर्गत जोखिम की शुरुआत 8 वर्ष की उम्र पर पडने वाली वर्षगांठ या उसके तुरन्त बाद पड़ने वाली पॉलिसी वर्षगांठ से एक दिन पहले से होगी।

प्रवेश के समय जिनकी उम्र 8 वर्ष या अधिक हो, उनके लिए जोखिम की शुरुआत जोखिम की स्वीकृति की तिथि से होगी।

2. **परिपक्वता हितलाभ:** परिपक्वता की विनिर्दिष्ट तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, परिपक्वता बीमा राशि तथा लॉयल्टी एडीशन, अगर कोई हो, के साथ भुगतान किया जाएगा।
3. **निहित होने की तिथि (केवल तभी लागू, अगर पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि पर बीमित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो):** यदि बीमित व्यक्ति निहित होने की तिथि पर जीवित हो तथा निहित होने की तिथि से पहले पॉलिसी की धनराशि हेतु पात्र व्यक्ति से पॉलिसी को अभ्यर्पण करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो निहित होने की इस तिथि को अर्थात 18 वर्ष की उम्र पर या उसके तुरंत बाद पडनेवाली पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी बीमित व्यक्ति को स्वत: निहित हो जाएगी और इस प्रकार निहित होने को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीमित व्यक्ति को पॉलिसी का सम्पूर्ण मालिक माना जाएगा तथा प्रस्तावक या उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या अधिकार नहीं होगा।
4. **निगम के लाभ में प्रतिभागिता:** यह पॉलिसी निगम के अनुभव के आधार पर लॉयल्टी एडीशन के रूप में अधिशेष (लाभ) में भागीदारी की पात्र होगी। लॉयल्टी एडीशन, अगर कोई हो, का भुगतान मृत्यु या सरेन्डर पर किया जाएगा, बशर्ते यह पॉलिसी कम से कम पांच पॉलिसी वर्ष तक जारी रही हो या परिपक्वता तक पॉलिसीधारक के जीवित रहने पर, जिसका भुगतान निगम द्वारा घोषित दर व शर्तों पर किया जाएगा।

<u>भाग – द: सेवा प्रदान करने के पहलू से संबंधित शर्तें</u>

1. **उम्र का प्रमाण:** प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित की गई परिपक्वता बीमा राशि तथा बीमित व्यक्ति की उम्र पर प्रीमियम की गणना हो जाने के पश्चात यदि उम्र उस उम्र से अधिक पायी जाती है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों सहित निगम के अन्य अधिकारों और उपचारों को क्षति पहुंचाए बिना, ऐसे मामले में प्रीमियम प्रवेश के आधार पर परिपक्वता बीमाराशि के लिए निकाली गई दर से देय होगा और बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक निगम को पॉलिसी आरंभ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही उम्र के लिए प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिए निगम द्वारा उस समय प्रचलित निर्धारित दर पर ब्याज सहित भुगतान करेगा। तथापि, प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक उपरोक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही उम्र के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि दावे के समय प्रचलित दर से ब्याज के साथ देय होगी। उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी धनराशि से काट लिया जाएगा।

   यह भी प्रावधान है कि यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही उम्र ऐसी हो तो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग अथवा शर्तों के अधीन उसे बीमा के लिए अयोग्य बना दे तो उसको बीमा के आरंभ में प्रचलित प्रथा के अनुसार निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा वर्ग अथवा शर्तों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक की सहमति के अधीन होगी, अन्यथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।
2. **विशेष परिस्थितियों में जब्ती:** यदि बीमाधारक द्वारा प्रपत्र में उल्लिखित या पृष्ठांकित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो या बाद यह पाया जाए कि इस में उल्लिखित प्रस्ताव, व्यक्तिगत बयान, घोषणाओं या संबंधित दस्तावेज़ के संदर्भ में कोई असत्य या अनुचित बयान सम्मिलित है या कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए हैं तो उसी समय से ऐसी प्रत्येक परिस्थितियों में पॉलिसी अवैध मानी जाएगी एवं इस पॉलिसी के संदर्भ में लाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के लागू हो सकने वाले प्रावधानों के अधीन होंगे।
3. **पॉलिसी ऋण:** जोखिम के स्वीकृत होने की तिथि से कम से कम तीन महीने के बाद समय या फ्री लुक अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित नियमों व शर्तों, ऐसी राशियों के लिए पॉलिसी के अभ्यर्पण

On death after completion of five policy years but before the stipulated Date of Maturity:

Sum assured on Death i.e. 10 times the Tabular Single Premium along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.

Date of commencement of risk under the plan:

In case the age at entry of the Life Assured is less than 8 years, the risk under this plan will commence from one day before the policy anniversary coinciding with or immediately following the age of 8 years.

For those aged 8 years or more at entry, risk will commence immediately from the date of issuance of policy.

2. **Maturity Benefit:** On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity, the Maturity Sum Assured along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.
3. **Date of Vesting (Applicable only if the age of the Life Assured is below 18 years on the date of commencement of policy):** If the Life Assured is alive on the vesting date and if a request in writing for surrendering the policy has not been received by Corporation before such vesting date from the person entitled to the policy moneys, this policy shall automatically vest in the Life Assured on such vesting date i.e. on the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 18 years of age and shall on such vesting be deemed to be a contract between the Corporation and the Life Assured. The Life Assured shall become the absolute owner of the policy and the proposer or his estate shall cease to have any right or interest therein.
4. **Participation in the Profits of the Corporation:** This policy shall be eligible for share in surplus (profits) in the form of Loyalty Addition, depending upon the experience of the Corporation. The Loyalty Addition, if any, shall be payable on death or surrender, provided this policy has run for at least five policy years, or on policyholder surviving to the maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

<u>PART – D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS</u>

1. **Proof of Age :** The premium having been calculated based on the Maturity Sum Assured and the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such cases at the rate calculated on the Maturity Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium, from the commencement of the policy up to the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured /Proposer does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of this policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and will be deducted from the Policy moneys payable on the policy becoming a claim.

   Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plans of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this Policy subject to the consent of the policyholder, otherwise the policy will be cancelled.
2. **Forfeiture in Certain Events:** In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provision of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
3. **Policy Loan:** Policy Loan can be availed under this policy at

की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुन: समानुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो:

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या समानुदेशिती द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समानुदेशन, चाहे यह पूर्णत: हो या अंशत:, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समानुदेशिती का हित होगा:

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समानुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन समानुदेशिती द्वारा पुन: समानुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुन: अंतरण से स्वत: पुन: प्रचालित हो जाएगा।

5. जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।
6. जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।
7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप–धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।
8. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप–धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों (जैसी भी स्थिति हो) के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे।
9. उप–धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।
10. उप–धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2015 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।
11. जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।
12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 कि धारा 6 लागू होती हो या कभी लागू कि गई हो।

    शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

<u>परिशिष्ट III</u>

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार धारा 45 :

1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।
2. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के

consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

5. Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.
6. Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
7. Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.
8. Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
9. Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.
10. The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
11. Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.
12. The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied:

    Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

<u>Annexure III</u>

Section- 45 as per Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
2. A policy of life insurance may be called in question at any time

देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस बात का निष्कर्षी साक्ष्य माना जाएगा कि उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है।

8. अंतरण या समानुदेशन के नियमों तथा शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या समानुदेशिती की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या समानुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समानुदेशिती पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समानुदेशनकर्ता की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कार्रवाई का एक पक्ष बना सकता है।

   स्पष्टीकरण – सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समानुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक समानुदेशन या अंतरण को पूर्ण समानुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समानुदेशिती या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समानुदेशिती या अंतरिती माना जाएगा।

9. बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समानुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समानुदेशिती या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधानों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।

10. किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में समानुदेशन इस दशा में किया जा सकता है कि

    अ. पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर समानुदेशिती या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है; या

    ब. बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा:

    तथापि सशर्त समानुदेशिती पॉलिसी को सरेन्डर करने या पॉलिसी पर लोन लेने का पात्र नहीं होगा।

11. उप-धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समानुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायिता आंशिक समानुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पुनः समानुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

<u>परिशिष्ट II</u>

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 धारा 39 अनुसार

1. जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा।

   शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

2. ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के ज़रिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अतंर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

3. बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

4. धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समानुदेशन से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा:

   शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समानुदेशन, जो कि समानुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी

grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

8. Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee or entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

   Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

9. Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.

10. Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that -

    a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or

    b. The insured surviving the term of the policy , shall be valid:

    Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

11. In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurers shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

<u>Annexure – II</u>

Nomination - As per section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

   Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

2. Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bonafide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

3. The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

4. A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

   Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in

मूल्य के अंतर्गत तथा निगम तथा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अन्य नियमों व शर्तों के अधीन होगा:

(i) बीमित व्यक्ति के अवयस्क रहने के दौरान प्रस्तावक द्वारा ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते ऋण अवयस्क बीमित व्यक्ति के हितलाभ के लिए लिया गया हो।

(ii) पॉलिसी पूर्णतः समानुदेशित होगी तथा ऋण और उस पर ब्याज की अदायती के लिए उसे जमानत के रूप में निगम के द्वारा धारित रखा जाएगा।

(iii) निगम को ब्याज का भुगतान, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा विनिर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि दर से किया जाएगा। ब्याज की पहली किस्त का भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छः महीने पहले की तिथि पर, जो भी उसके तुरन्त बाद हो, जब ऋण स्वीकृत किया गया था, किया जाएगा और उसके बाद हर छः महीने पर किया जाएगा। ब्याज कम से कम छः महीनों के लिए लिया जाएगा। पॉलिसी ऋण पर ब्याज की मौजूदा दर 10.5% वार्षिक है जो छमाही रुप से देय है।

(iv) अगर पॉलिसी परिपक्व या अभ्यर्पित होती है या मृत्यु के कारण दावा किया जाता है तो निगम द्वारा पॉलिसी की धनराशि से बकाया ऋण या उसके किसी अंश को सभी देय ब्याजों के साथ काट लिया जाएगा।

(v) प्रवेश पर उम्र के आधार पर, विभिन्न पॉलिसी वर्षों के लिए अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप से दिया जा सकने वाला अधिकतम ऋण निम्न अनुसार होगा

पॉलिसी वर्ष	प्रवेश पर उम्र <=35 के लिए अभ्यर्पण मूल्य के % रुप में अधिकतम ऋण राशि	प्रवेश पर उम्र >35 के लिए अभ्यर्पण मूल्य के % रुप में अधिकतम ऋण राशि
*3 माह से 3 वर्ष	55%	35%
4 से 6 वर्ष	65%	50%
7 से 9 वर्ष	75%	70%
10 से 12 वर्ष	80%	80%
13 से 15 वर्ष	85%	85%

***3 माह का अर्थ है कि जोखिम को स्वीकृत किए जाने की तिथि से 3 माह के बाद या फ्री लुक अवधि के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, ऋण प्राप्त किया जा सकता है।**

4. अभ्यर्पण: पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी पॉलिसी को अभ्यर्पण किया जा सकता है। स्वीकार्य गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य निम्न अनुसार होगा:

- प्रथम वर्ष: एकल प्रीमियम का 70%
- उसके बाद: एकल प्रीमियम का 90%

तथापि, इस पॉलिसी के अंतर्गत विशेष अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, अगर वह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल है। स्पेशल अभ्यर्पण मूल्य, परिपक्वता चुकता बीमा राशि तथा निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनसों के योगफल का स्पेशल अभ्यर्पण मूल्य घटक से गुणनफल मूल्य होगा। इस पॉलिसी पर लागू ये स्पेशल अभ्यर्पण मूल्य घटक आईआरडीएआई की पूर्व मंजूरी से समय-समय पर बदल सकते हैं।

अगर पॉलिसी को पांच पॉलिसी वर्ष के पूरे होने के बाद अभ्यर्पण किया जाता है, तो लागू लॉयल्टी एडीशन, अगर कोई हो, देय होगा।

<u>भाग – य: लागू नहीं</u>

<u>भाग – र: अन्य नियम व शर्तें</u>

1. फ्री लुक पिरियड: फ्री लुक पिरियड के दौरान, अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम तथा शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्तियों के कारण का उल्लेख करते हुए पॉलिसी को लौटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा तथा संरक्षित जोखिम अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, स्टैम्प ड्यूटी हेतु शुल्क और स्वास्थ्य जांच तथा विशेष रिपोर्ट्स के लिए अन्य शुल्क को काटकर, कुल प्रीमियम की राशि को लौटा देगा।

2. अ) समानुदेशन: समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत इस प्लान में समानुदेशन की अनुमति है। धारा 38 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-I में दिए गए हैं।

अभ्यर्पण का नोटिस निगम के उस कार्यालय में पंजीकरण के लिए दिया जाना चाहिए, जहां पॉलिसी को सेवाएं प्रदान की जाती है।

ब) नामांकन: समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत जीवन बीमा की पॉलिसी के धारक द्वारा नामांकन

any time after three months from date of issuance of policy or after expiry of the Free Look Period, whichever is later, subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:

(i) The loan during the minority of Life Assured can be availed by the proposer provided the loan is raised for the benefit of the minor Life Assured.

(ii) The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of loan and of the interest thereon;

(iii) Interest on the loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. The first payment of interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six months before the next policy anniversary whichever immediately follows the date on which the loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months. The current applicable interest rate on policy loan is 10.5% p.a payable half yearly;

(iv) In case the policy shall mature or surrender or becomes a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the loan or any portion thereof which is outstanding, together with all interest, from the policy moneys;

(v) Depending on the age at entry, the maximum loan that shall be granted as a percentage of surrender value for different policy years is as under:

Policy year	Maximum Loan Amount as a % of surrender value for age at entry <=35	Maximum Loan Amount as a % of surrender value for age at entry >35 years.
*3 month to 3rd	55%	35%
4th to 6th	65%	50%
7th to 9th	75%	70%
10th to 12th	80%	80%
13th to 15th	85%	85%

***3 month means loan can be availed after three months from the date of issuance of policy or after expiry of the Free Look Period, whichever is later.**

4. **Surrender:** The policy can be surrendered at any time during the policy term. The Guaranteed Surrender Value allowable shall be as under:

- First year: 70% of the Single Premium.
- Thereafter: 90% of the Single Premium.

However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favourable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the Special Surrender Value factor multiplied by the Maturity Sum Assured. The Special Surrender Value factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of the IRDAI.

If the policy is surrendered after completion of five policy years, applicable Loyalty Addition, if any, shall be payable.

<u>**PART – E: NOT APPLICABLE**</u>

<u>**PART – F: OTHER TERMS AND CONDITIONS**</u>

1. **Free Look period:** During the Free Look period, if the Policyholder is not satisfied with the Terms or Conditions of the policy, he/ she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of Total Premium paid after deducting the proportionate risk premium for the period on cover, stamp duty charges and any charges incurred on medical examination and special reports.

2. **a) Assignments:** Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure - I of this Policy Document.

   The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

अपेक्षित है। अवयस्क व्यक्तियों के लिए, पॉलिसी के इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 3 में विनिर्दिष्ट के अनुसार बीमित व्यक्ति के पक्ष में निहित होने पर, समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार किसी एक या अधिक को नामांकित कर सकता है। धारा 39 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

नामांकित करने या नामांकन बदलने की सूचना निगम के उस कार्यालय में पंजीकरण हेतु जमा करायी जानी चाहिए, जहां पॉलिसी को सेवा प्रदान की जाती है। नामांकन को पंजीकृत करते समय निगम उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है या राय नहीं व्यक्त करता है।

3. **आत्महत्या:** यह पॉलिसी अवैध मानी जाएगी अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ), जोखिम के आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करता है तो एकल प्रीमियम के 90% या सरेन्डर मूल्य में से जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाएगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

   अगर प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम हो अर्थात बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो यह धारा उस पर लागू नहीं होगी, और एकल प्रीमियम की राशि किसी ब्याज के बिना लौटा दी जाएगी।

4. **टैक्स:** ऐसे इंश्योरेन्स प्लान्स पर यदि कोई वैधानिक टैक्स भारत सरकार या किसी अन्य भारत की संवैधानिक संस्था द्वारा टैक्स लगाया जाता है तो वह समय-समय पर लागू टैक्स संबंधी कानूनों और टैक्स की दर के अनुसार होगा।

   पॉलिसीधारक को एकल प्रीमियम जिसमें अगर पॉलिसी के अंतर्गत कोई अतिरिक्त राशि ली गई हो तो वह भी शामिल है, पर देय सर्विस टैक्स मौजूदा दरों से लिया जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के ऊपर व अतिरिक्त होगा। अदा किए गए टैक्स की राशि को प्लान के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

5. **दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:** बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्वारा विनिर्धारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु से पूर्व चिकित्सा उपचार, स्कूल/कॉलेज/नियोक्ता का प्रमाण पत्र, इन में से जो लागू हो, निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा। अगर पॉलिसी के अंतर्गत उम्र स्वीकृत नहीं की है, तो बीमित व्यक्ति की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

   पॉलिसी के परिपक्वता दावे में परिणत होने या पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने की स्थिति में, बीमित को डिस्चार्ज फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, उम्र का प्रमाण, अगर उम्र को पहले स्वीकृत नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

6. **वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम व देय हितलाभ तथा नियम तथा शर्तें संबंधित नियमों और विनियमों में परिवर्तन के विषयाधीन होंगे।

7. **लाभों का उदाहरण:** मानक जीवन अवधारणा पर आधारित आपका अनुकूल हितलाभ का उदाहरण इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न है।

<u>भाग – ल: सांविधिक प्रावधान</u>

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। प्रावधान मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी कागजात के परिशिष्ट-III में संलग्न है।

शिकायत समाधान प्रणाली:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहक शुभचिन्तक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़रिए पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरानी रख सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अगर कोई ग्राहक हमसे प्राप्त जवाब से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई प्रतिसाद प्राप्त नहीं होता है तो वह निम्नलिखित में से किसी माध्यम के ज़रिए आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष से सम्पर्क कर सकता है:

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर) पर कॉल करके
- यहां ई-मेल भेजकर complaints@irda.gov.in
- ऑनलाइन http://www.igms.gov.in पर शिकायत दर्ज करके
- कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता: उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, 9वीं मंजिल, युनायटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद-500029, आंध्र प्रदेश.
- फैक्स नं. 040-66789768 पर शिकायत भेजकर

जो दावेदार मृत्यु के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रूप में हैं। शिकायतों से संबंधित दावों के समाधान के लिए दावेदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चे के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए हैं।

<u>परिशिष्ट I</u>

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 धारा 38 अनुसार

1. बीमा पॉलिसी का अंतरण या समानुदेशन, पूर्णत: या अंशत: प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्ट्रूमेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समानुदेशनकर्ता या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या समानुदेशन के तथ्य और कारण, समानुदेशिती के पूर्ववृत्त और समानुदेशन की शर्तों का उल्लेख करते हुए।
2. बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समानुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समानुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित में नहीं है या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु है ।
3. बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समानुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।
4. बीमाधारक द्वारा ऐसे समानुदेशन या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।
5. उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समानुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंस्ट्रूमेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहां जहां अंतरण या समानुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरूद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरिती या समानुदेशिती या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। जब तक कि अंतरण या समानुदेशन का लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इंस्ट्रूमेन्ट की प्रति, जिसे अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।

   बशर्ते जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।
6. जिस तिथि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समानुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समानुदेशन के एक से अधिक इंस्ट्रूमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रूमेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द किए गए हैं।

   समानुदेशितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।
7. उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समानुदेशन के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या समानुदेशिती के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या समानुदेशिती, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती

b) Nominations: Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. For minor lives, after the policy has vested in the Life Assured as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document, he/she may appoint a nominee or nominees as per Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-II of this Policy Document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

3. **Suicide:** The policy shall be void if the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of the risk, an amount which is higher of 90% of the Single Premium or Surrender Value shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy.

   This clause shall not apply in case of Life Assured whose age at the time of entry is below 8 years i.e. if age of the Life assured is below 8 years, refund of Single Premium without interest shall be payable.

4. **Tax:** Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

   The amount of Service Tax payable as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on single premium including extra charge, if any, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of any benefits payable under the plan.

5. **Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, medical treatment prior to the death, school/college/ employer's certificate, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

   Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

6. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

7. **Benefit Illustration:** Your customized Benefit Illustration is enclosed to this Policy Document.

<u>PART – G: STATUTORY PROVISIONS</u>

Section 45 of the Insurance Act, 1938:

The provisions of the sections 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-III of this Policy Document.

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter: Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

<u>Annexure I</u>

Assignment – As per section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
2. An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policy-holder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
3. The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policyholder giving notice of such transfer or assignment.
4. Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
5. Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

   Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.
6. The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

   Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.
7. Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations,